न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 40/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

आवास फाईनेसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. संदीप सिंह नेहरा पुत्र बनवारी लाल नेहरा, जाति जाट, निवासी पनजी का बास, केडविथ गोपालपुरा, झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं– 233012 हाल आबाद फ्लैट नम्बर 501, पांचवी मंजिल, पट्टा नम्बर 7326, रॉयल प्राईम, वार्ड नम्बर 27, शांति नगर, देवीपुरा, जयपुर रोड़, सीकर– 332001।
2. नीरज सिंह पत्नी संदीप सिंह, जाति जाट, निवासी 50/54, सेक्टर 55, वार्ड नम्बर 13, मानसरोवर, जयपुर, जिला जयपुर7 302020।

जमानती/अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: २२ अगस्त, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विजय सिंह तंवर** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **संदीप सिंह नेहरा, नीरज सिंह** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **संदीप सिंह नेहरा पुत्र बनवारी लाल नेहरा की सम्पति जो रॉयल प्राईम, वार्ड नम्बर 27, शांति नगर, देवीपुरा, जयपुर रोड़, सीकर एक जन आवासीय फ्लैट नम्बर 501 पांचवी मंजिल पर छत रहित स्थित है जो संदीप सिंह नेहरा के नाम से जरिये विक्रय पत्र जारी हुआ है तथा जिसका नाप 2265 वर्गफीट है तथा जिसके उत्तर में दीगर सम्पदा, दक्षिण में रास्ता 30 फिट, पूर्व में फ्लैट नम्बर 503 व 504, पश्चिम में रास्ता 30 फिट स्थित हैं,** को बंधक रखकर **25,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **पच्चीस लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **02.05.2019** को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आयाा।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **02.05.2019** को रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया तथा समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया। समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **संदीप सिंह नेहरा, नीरज सिंह** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **संदीप सिंह नेहरा पुत्र बनवारी लाल नेहरा की सम्पति जो रॉयल प्राईम, वार्ड नम्बर 27, शांति नगर, देवीपुरा, जयपुर रोड़, सीकर एक जन आवासीय फ्लैट नम्बर 501 पांचवी मंजिल पर छत रहित स्थित है जो संदीप सिंह नेहरा के नाम से जरिये विक्रय पत्र जारी हुआ है तथा जिसका नाप 2265 वर्गफीट है तथा जिसके उत्तर में दीगर सम्पदा, दक्षिण में रास्ता 30 फिट, पूर्व में फ्लैट नम्बर 503 व 504, पश्चिम में रास्ता 30 फिट स्थित हैं,** का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर, प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक: 22 **अगस्त, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

Scanned by CamScanner